न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू (राज.)

पीठासीन अधिकारीः– श्री राजेन्द्र सिंह (आर.ए.एस.)
मुकदमा नम्बरः– 52/2021
आर0सी0एम0एस0 नम्बरः–2021/441

सोहनलाल पुत्र कानाराम जाति माली निवासी ग्राम ककराना तहसील उदयपुरवाटी जिला झुझुनूं।
प्रार्थी ..

बनाम

अप्रार्थी..

तहसीलदार तहसील उदयपुरवाटी जिला झुझुनूं।

प्रार्थना पत्र अ0 धारा 136 भू– राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय दिनांक

प्रार्थी ने जरिये वकील प्रार्थना पत्र अ0 धारा 136 एल. आर. एक्ट का इस आशय का प्रस्तुत किया है कि ग्राम ककराना पटवार हल्का ककराना तहसील उदयपुरवाटी की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 780, 787, 795, 796 कुल किता 4 कुल रकबा 1.000 हैक्टर अवस्थित हैं। उक्त वर्णित भूमि का प्रार्थी रिकार्डेड खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है तथा राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से बाबत् कोई विवाद नही है। उक्त वर्णित भूमि के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम सोहनलाल पुत्र कानाराम की बजाय सोनाराम पुत्र कानाराम दर्ज रिकार्ड है जो गलत दर्ज रिकार्ड है। इस कारण प्रार्थी किसी भी सरकारी योजना का लाभ नही उठा पा रहा है। प्रार्थी को बचपन में सोहनलाल एवं सोनाराम दोनो नामों से ही पुकारा जाता था। सभी लाड प्यार से सोनाराम ही कहते थे, लेकिन सही नाम सोहनलाल था। लेकिन उक्त वर्णित भूमि में प्रार्थी का नाम दर्ज करते समय सोहनलाल पुत्र कानाराम के बजाय सोनाराम पुत्र कानाराम नाम दर्ज कर दिया।

राजस्व रिकार्ड के अलावा अन्य सभी दस्तावेजों में प्रार्थी का नाम सोनाराम अंकित है। अन्त में निवेदन किया है कि ग्राम ककराना पटवार हल्का ककराना तहसील उदयपुरवाटी की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 780, 787, 795, 796 कुल किता 4 कुल रकबा 1.000 हैक्टर के राजस्व रिकार्ड में दर्ज प्रार्थी का नाम सोनाराम पुत्र कानाराम के बजाय सोहनलाल पुत्र कानाराम किया जाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने के आदेश फरमाया जाना प्रार्थनीय है।

प्रार्थना पत्र दर्ज किया जाकर अप्रार्थी की तलबी वास्ते जबाबदेही तय की गई। तहसीलदार उदयपुरवाटी बावजूद तामील न्यायालय में हाजीर नहीं आए अतः इनके विरूद्ध एकपक्षिय कार्यवाही अमल में लाई जाती है।

बहस प्रार्थना पत्र अ0 धारा 136 एल. आर. एक्ट पर एकतरफा श्रवण की गई। बहस के दौरान वकील प्रार्थी ने प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया कि प्रार्थना पत्र की मद संख्या 1 में वर्णित भूमि खसरा नम्बरान के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम सोहनलाल पुत्र कानाराम के बजाय सोनाराम पुत्र कानाराम दर्ज रिकार्ड है जो गलत दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थी के

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2021.09.14 16:04:20 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

...स्त दस्तावेजों यथा आधार कार्ड, बैंक पासबुक एवं प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत ककराना, परिवार राशन कार्ड, भामाशाह कार्ड, शपथ पत्र प्रार्थी स्वंय में प्रार्थी का नाम सोहनलाल पुत्र कानाराम दर्ज है। अतः ग्राम ककराना पटवार हल्का ककराना तहसील उदयपुरवाटी की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 780, 787, 795, 796 कुल किता 4 कुल रकबा 1.000 हैक्टर के राजस्व रिकार्ड में दर्ज प्रार्थी का नाम सोनाराम पुत्र कानाराम के बजाय सोहनलाल पुत्र कानाराम किया जाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने के आदेश फरमाया जाना प्रार्थनीय है।

पत्रावली एवं उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया तथा बहस पर मनन किया गया। राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी सम्वत् 2075–2078 के अनुसार ग्राम ककराना पटवार हल्का ककराना तहसील उदयपुरवाटी की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 780, 787, 795, 796 कुल किता 4 कुल रकबा 1.000 हैक्टर के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम सोनाराम पुत्र कानाराम दर्ज रिकार्ड है, राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी के अलावा अन्य दस्तावेजों यथा आधार कार्ड, बैंक पासबुक एवं प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत ककराना, परिवार राशन कार्ड, भामाशाह कार्ड, शपथ पत्र प्रार्थी स्वंय में प्रार्थी का सही नाम सोहनलाल पुत्र कानाराम अंकित है। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन से साबित है कि प्रार्थी का सही नाम सोहनलाल पुत्र कानाराम है तथा सोहनलाल एवं सोनाराम दो अलग अलग व्यक्ति ना होकर एक ही व्यक्ति के नाम है। अतः उक्त वर्णित भूमि के राजस्व रिकार्ड में अंकित प्रार्थी का नाम सोनाराम पुत्र कानाराम के बजाय सोहनलाल पुत्र कानाराम किया जाना उचित प्रतित होता है। उक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित व न्यायोचित प्रतित होता है।

आदेश

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अ0 धारा 136 एल. आर. एक्ट स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम ककराना पटवार हल्का ककराना तहसील उदयपुरवाटी की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 780, 787, 795, 796 कुल किता 4 कुल रकबा 1.000 हैक्टर के राजस्व रिकार्ड में दर्ज प्रार्थी का नाम सोनाराम पुत्र कानाराम के बजाय सोहनलाल पुत्र कानाराम दुरूस्त/शुद्ध किये जाने का आदेश दिया जाता है। तद्नुसार तहसीलदार उदयपुरवाटी राजस्व रिकार्ड में नाम दुरूस्त करें। उक्त खसरा नम्बरान के शेष इन्द्राज बदस्तुर रहेंगे।

उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी

निर्णय आज दिनांक 13/8/21 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2021.09.14 16:04:20 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी

Scanned with CamScanner